न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 69/2025

कौर सिंह पुत्र श्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख उम्र 80 वर्ष, निवासी 11 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

बनाम

कश्मीर सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख, निवासी 11 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

–– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विक्रम बिश्नोई – – प्रार्थी
2. श्री राजेश गुम्बर – – अप्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :–24.12.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त अनवानी वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका हैं जिसके सफल होने की प्रबल सम्भावना हैं। तथ्यों की पुर्नावर्ति ना हो इसलिए वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को आवेदन पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर आवेदन पत्र में दर्ज तथ्यों के रूप में पढ़ा जावें । प्रार्थी व प्रार्थी के भाई मेहर सिंह, मेजर सिंह तीनो वाके चक 11 एम. एल. के वांशिदगान है। प्रार्थी के भाई मेहर सिंह का देहान्त हो चुका है और मेहर सिंह का पुत्र हिम्मत सिंह इसी चक में निवास करता है। मेहर सिंह की मृत्यु हो जाने से मेहर सिंह की भूमि हिम्मत सिंह के नाम से दर्ज चली आ रही है और तीनों के पास वाके चक 11 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 15/13 के मुरब्बा नं. 39 के किला नं. 1 ता 25 की 6.0100 हैक्टयर व इसी चक के खाता संख्या 81/73 के मुरब्बा नं. 52 के किला नं. 15/2 की 0.0380 है0 नहरी, किला नं. 15/3 की 0. 0250 है0 खाला, किला नं. 16 में 0.0130 है0 गै.मु.खाला, मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 11, 12 प्रत्येक सालम, किला नं. 13 में 0.1260 है0, किला नं. 16 ता 25 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 1 ता 12 प्रत्येक सालम, किला नं. 13/1 में 0.1260 है0 कुल 6.400 हैक्टयर कृषि भूमि में प्रार्थी, प्रार्थी का भाई मेजर सिंह, मेहर सिंह (मृतक) का पुत्र हिम्मत सिंह हिस्सेदार है। इस खाता में राधाकृष्ण पुत्र आईदान का भी 19/1600 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इस भूमि के अतिरिक्त प्रार्थी कौर सिंह, मेजर सिंह व मेहर सिंह के पुत्र हिम्मत सिंह के नाम से वाके चक 1 बीबी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 18/16 के मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 1 ता 12 प्रत्येक सालम, किला नं. 13/1 में 0.1260 है0 कुल 3. 1620 हैक्टयर व इसी चक के खाता संख्या 19/17 के मुरब्बा नं. 46 के किला नं.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

13/2 की 0.1270 है०, किला नं. 14 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 3.1630 हैक्टयर के हिस्सेदार है। जमाबन्दी की नकल संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी व उसके भाई मेहर सिंह व मेजर सिंह तीनों ने अपनी उक्त कृषि का वाहमी विभाजन आपस में कर रखा था और इस वाहमी विभाजन का ज्ञापन दिनांक 18–05–1994 को निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवा लिया था, इस वाहमी विभाजन ज्ञापन की फोटो प्रति संलग्न वाद पत्र है। इस वाहमी विभाजन से प्रार्थी के भाई मेहर सिंह को चक 11 एम.एल. के मुरब्बा नं. 39 की 25 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई थी। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई मेजर सिंह को चक 11 एम.एल. के मुरब्बा नं. 56 के उपरोक्त 12.10 बीघा व मुरब्बा नं. 57 के उपरोक्त 12.10 बीघा व चक 1 बी. बी. के पुराना मुरब्बा नं. 45 नया मुरब्बा नं. 46 में 25 बीघा कुल 50 बीघा भूमि आई थी, प्रार्थी व प्रार्थी के भाई मेजर सिंह ने अपनी उक्त 50 बीघा भूमि का आपस में विभाजन कर लिया था और इससे प्रार्थी के हिस्से में चक 11 एम. एल. के मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 1 ता 12 प्रत्येक सालम, किला नं. 13 की 10 बिस्वा कुल 12.10 बीघा व चक 1 बी.बी. के पुराना मुरब्बा नं. 45 नया मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 1 ता 12 प्रत्येक सालम, किला नं. 13 की 10 बिस्वा कुल 12.10 बीघा भूमि कुल 25 बीघा भूमि घरेलू बंटवारा में प्राप्त हुई थी, मेजर सिंह को चक 11 एम.एल. के मुरब्बा नं. 56 की उपरोक्त 12.10 बीघा व चक 1 बी.बी. के मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 13 की 10 बिस्वा, किला नं. 14 ता 25 प्रत्येक सालम की 12.10 बीघा कुल 25 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी। प्रार्थी के चार पुत्र अजनाम कश्मीर सिंह अप्रार्थी व उसके भाई निशान सिंह, हरमिन्द्र सिंह व ज्ञान सिंह है। प्रार्थी ने अपने चारों पुत्रों को अलग अलग भूमि दे रखी है। अप्रार्थी कश्मीर सिंह के नाम वाके चक 29 एल.एन. पी. के खाता सं. 145/106 के मुरब्बा नं. 1 के किला नं. 16/2 से 24/2 की 1. 5180 हैक्टयर बारानी दर्ज है। चक 24 एम. एल. के खाता सं. 6/6 के मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 1/1, 1/2, 10, 11, 14 ता 25 की 3.548 हैक्टयर बारानी, 0. 0250 है० खाला व मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 3/1 से 25 की 5.3770 हैक्टयर बारानी, 0.1260 है0 खाला व मुरब्बा नं. 55 के किला नं. 1/1, 10/1 से 25 की 3.1310 हैक्टयर बारानी व मुरब्बा नं. 62 के किला नं. 1/2 से 5 की 1.2520 हैक्टयर बारानी कुल तादादी 13.4590 हैक्टयर प्रार्थी के चारों पुत्रों के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 11 एम. एल. के खाता संख्या 74/67 के मुरब्बा नं. 64 के किला नं. 2/2 से 5 की 0.885 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थी कश्मीर सिंह का 253/885 हिस्सा दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि बारानी दर्ज है जबकि मौका पर उक्त भूमि सिंचित भूमि है। चक 11 एम.एल. के खाता संख्या 40/40 के मुरब्बा नं. 63 के किला नं.1/1, 1/2, 2/1, 2/3, 9 व 10 की कुल 0.7210 हैक्टयर भूमि प्रार्थी कौर सिंह के पुत्र ज्ञान सिंह, निशान सिंह, हरमिन्द्र सिंह एवं सतनाम सिंह पुत्र मेजर सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। इसी चक के खाता सं. 88/80 के मुरब्बा नं. 55 के किला नं. 1/1 से 25/2 व मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 13/2 से 25 की कुल 9.487 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थी कश्मीर सिंह का 791/9487 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इसी चक के खाता संख्या 87/79 के मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 1 ता 25/2 की 6.300 हैक्टयर में अप्रार्थी कश्मीर सिंह का 319/2100 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। जमाबन्दी की नकल संलग्न प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त वर्णनानुसार अप्रार्थी कश्मीर सिंह के नाम से 6.583 हैक्टयर भूमि दर्ज है जो करीबन 27 बीघा भूमि है। यह भूमि अप्रार्थी कश्मीर सिंह के कब्जा काश्त में चली आ रही है और कश्मीर सिंह उक्त भूमि की पैदावार उठा रहा है। उक्त भूमि के अलावा तहसील रायसिंहनगर के चक 74 आर. बी. में अप्रार्थी कश्मीर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सिंह के नाम से कृषि भूमि दर्ज है। उपरोक्त वर्णनानुसार प्रार्थी के पास केवल 25 बीघा भूमि ही है जिसकी काश्त से प्रार्थी अपना व अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर रहा है। प्रार्थी करीबन 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। प्रार्थी हृदय रोग व शुगर की बीमारी से पीड़ित है और प्रार्थी को हृदय रोग के लिए व शुगर की बीमारी के लिए हर वक्त डॉक्टर के सम्पर्क में रहना पड़ता है जिससे प्रार्थी को काफी धनराशि की आवश्यकता रहती है। अप्रार्थी, प्रार्थी की वृद्धावस्था व बीमारी का अनुचित लाभ उठाकर प्रार्थी के कब्जा काश्त के चक 11 एम. एल. के मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 15 बिस्वा किला नं. 11, 12 प्रत्येक सालम, किला नं. 13 में 10 बिस्वा से प्रार्थी को बेदखल कर इस भूमि पर जबरदस्ती काबिज होने की कोशिश में है, यदि अप्रार्थी प्रार्थी को इस भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर खुद काबिज हो जाता है तो इससे प्रार्थी अपनी भूमि से वंचित हो जावेगा और प्रार्थी की आय का सीमित साधन है उससे वंचित हो जावेगा और प्रार्थी को वृद्धावस्था में जीवन यापन किया जाना कठिन हो जावेगा। प्रार्थी, अप्रार्थी को अपने स्तर पर अवैध कार्य करने से रोकने में असमर्थ है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पाने का अधिकारी है कि अप्रार्थी दौराने दावा वाके चक 11 एम. एल. के मुरब्बा प्रत्येक सालम, किला नं. 13 में 10 बिस्वा कुल 6.10 बीघा भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने व इस भूमि पर जबरदस्ती काबिज होने से निषेध रहे। वादग्रस्त कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी के पक्ष में, अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे कि अप्रार्थी वाके चक 11 एम. एल. के मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 15 बिस्वा, किला नं. 11, 12 प्रत्येक सालम, किला नं. 13 में 10 बिस्वा कुल 6.10 बीघा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दख्लांदाजी करने व इस भूमि पर जबरदस्ती काबिज होने से व प्रार्थी को बेदखल करने से निषेध रहे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य प्रार्थी व उसके भाईयों के बंटवारा के सम्बन्ध में हैं । वादग्रस्त रकबा संयुक्त खातेदारी है, मगर प्रार्थी ने जानबूझकर अपने भाईयों के वारिसान व सहखातेदारान को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया है, जो कि प्रार्थना पत्र के आवश्यक पक्षकारान हैं। इसलिए आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है तथा इसी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में अंकित प्रार्थी के चार पुत्र कशमीर सिंह, निशान सिंह, हरमिन्द्र सिंह व ज्ञान सिंह होना स्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अपने चारों पुत्रों को अलग अलग भूमि दी जाना भी स्वीकार है। मगर इस मद में जो बंटवारा में भूमि दी जानी अंकित की है, वह गलत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। वास्तविक स्थिति यह है कि प्रार्थी ने परिवार की पैतृक सम्पति का सन 2010 में पंचायत के मौजूज व्यक्तियों के समक्ष घरू मौखिक बंटवारा अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के भाईयों के पक्ष में किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार प्रार्थी ने अपने पास चक 8 बी बी के मुरब्बा नम्बर 13 की 2.071 हैक्टेयर कृषि भूमि रखी ली तथा अप्रार्थी को चक 11 एम एल के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 6, 7, 8, 9 व 10 (प्रत्येक 0.194 है0), 11, 12 व 13 (प्रत्येक 0.253 है0), 14, 15 (प्रत्येक 0.063 है0) 17 (0.025 है0), 18, 19 व 20 (प्रत्येक 0.253 है0) कुल 2.639 है0 भूमि व मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 8

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

से 13 में से 0.590 है0 भूमि व मुरब्बा नम्बर 63 किला नम्बर 2 (0.039 है0), 3(0.101 है०) कुल 0.140 है0 कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 3.369 है0 कृषि भूमि दी हुई है । अप्रार्थी के भाईयों को चक 1 बी बी व चक 11 एम एल की भूमि दी हुई है। अप्रार्थी अपने हिस्सा में आई भूमि पर सन् 2010 से काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष घरू बंटवारा अनुसार खातेदारी प्राप्त करने व रकबा का विभाजन करवाने के सम्बन्ध में एक वाद मय स्थगन प्रार्थना पत्र अनवानी कशमीर सिंह बनाम कौर सिंह माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में अंकित तथ्य बावजह गलत व्यानी स्वीकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने पास जो भूमि बंटवारा में रखी है, उससे प्रार्थी को अच्छी खासी आमदन होती है। प्रार्थी अपने अन्य पुत्रों के अवैध प्रभाव में है तथा उनके बहकावे में आकर प्रार्थी, अप्रार्थी को पूर्व में बंटवारा में दी हुई भूमि वापस प्राप्त करना चाहता है तथा उक्त भूमि अपने अन्य पुत्रों को देना चाहता है। चक 11 एम एल के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 6 ता 13 का उक्त रकबा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को बंटवारा में दिया हुआ है, जिस पर अप्रार्थी काबिज चला आ रहा है। इस सम्बन्ध में भू०अ०नि० व पटवारी हल्का द्वारा जारी फर्द मौका दिनांक 29.05.2025 व दैनिक डायरी दिनांक 09.09.2025 की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद है। जिसमें जांच कुनिन्दा अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 बावजह गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है। जैसा कि उपर की मदों में वर्णित किया जा चुका है कि वादग्रस्त रकबा पर अप्रार्थी घरू बंटवारा के अनुसार अर्सा दराज से काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर अप्रार्थी की फसल काश्त की हुई है, प्रार्थी का उक्त रकबा पर कोई कब्जा नहीं है, तो प्रार्थी को उपरोक्त भूमि से बेदखल करने करने का कथन आधारहीन हो जाता है। प्रार्थी ने कभी अथवा दिनांक 13.05.2025 को अप्रार्थी से इस सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं की। प्रार्थी को अप्रार्थी के खिलाफ कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है । प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में न होकर उक्त तीनों बिन्दू अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हैं। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में चाहा गया अस्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र मय प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त फरमाया जावे ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि उपरोक्त वर्णनानुसार अप्रार्थी कश्मीर सिंह के नाम से 6.583 हैक्टयर भूमि दर्ज है जो करीबन 27 बीघा भूमि है। यह भूमि अप्रार्थी कश्मीर सिंह के कब्जा काश्त में चली आ रही है और कश्मीर सिंह उक्त भूमि की पैदावार उठा रहा है। उक्त भूमि के अलावा तहसील रायसिंहनगर के चक 74 आर. बी. में अप्रार्थी कश्मीर सिंह के नाम से कृषि भूमि दर्ज है। उपरोक्त वर्णनानुसार प्रार्थी के पास केवल 25 बीघा भूमि ही है जिसकी काश्त से प्रार्थी अपना व अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर रहा है। अप्रार्थी, प्रार्थी की वृद्धावस्था व बीमारी का अनुचित लाभ उठाकर प्रार्थी के कब्जा काश्त के चक 11 एम. एल. के मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 15 बिस्वा किला नं. 11, 12 प्रत्येक सालम, किला नं. 13 में 10 बिस्वा से प्रार्थी को बेदखल कर इस भूमि पर जबरदस्ती काबिज होने की कोशिश में है, यदि अप्रार्थी प्रार्थी को इस भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर खुद काबिज हो जाता है तो इससे प्रार्थी अपनी भूमि से वंचित हो जावेगा और प्रार्थी की आय का सीमित साधन है उससे वंचित हो जावेगा और प्रार्थी को वृद्धावस्था में जीवन यापन किया जाना कठिन हो जावेगा। अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व

Scanned with OKEN Scanner

कि अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मदाखलत करने, जबरन बेदखल करने से बाज व ममनु रहे। इसके उपयोग उपभोग से वंचित करने से बाज व ममनु रहे। **वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब बहस में कथन किए गये कि** प्रार्थी ने जानबूझकर अपने भाईयों के वारिसान व सहखातेदारान को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया है, जो कि प्रार्थना पत्र के आवश्यक पक्षकारान हैं। इसलिए आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है तथा इसी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य है। अप्रार्थी अपने हिस्सा में आई भूमि पर सन् 2010 से काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष घरू बंटवारा अनुसार खातेदारी प्राप्त करने व रकबा का विभाजन करवाने के सम्बन्ध में एक वाद मय स्थगन प्रार्थना पत्र अनवानी कशमीर सिंह बनाम कौर सिंह माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। चक 11 एम एल के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 6 ता 13 का उक्त रकबा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को बंटवारा में दिया हुआ है, जिस पर अप्रार्थी काबिज चला आ रहा है। वादग्रस्त रकबा पर अप्रार्थी घरू बंटवारा के अनुसार अर्सा दराज से काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर अप्रार्थी की फसल काश्त की हुई है, प्रार्थी का उक्त रकबा पर कोई कब्जा नहीं है, तो प्रार्थी को उपरोक्त भूमि से बेदखल करने करने का कथन आधारहीन हो जाता है। प्रार्थी ने कभी अथवा दिनांक 13.05.2025 को अप्रार्थी से इस सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं की। प्रार्थी को अप्रार्थी के खिलाफ कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में न होकर उक्त तीनों बिन्दू अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हैं।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबंदीयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा सहकाश्तकारान को पक्षकारान नहीं बनाया गया है पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से पर स्थगन चाहा गया है, जिसके किसी प्रकार से खुर्द बुर्द होने की संभावना प्रतीत नहीं है। प्रार्थी के वाद में वर्णित अभिलिखित अभिवचनो एवं जमाबंदी दस्तावेजात के आधार पर वाद का निर्णय किया जाना है। दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। प्रकरण में स्थगन जारी किया जाना न्यायिक दृष्ट से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनाक 24.12.2025 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner